हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2014 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub :- Diversion of 2.20 hectares of forest land in favour of Ex-Engineer, HPPWD, Outer Seraj Kullu Division, for the widening and repair of Vagir – Bovalli-Avari Road (Km. 0/300 to 2/300), within the jurisdiction of Anni Forest Division, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB192/2010-CHA/ 189** दिनांक **08.07.14** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **2.20 hectares** वन भूमि को Ex-En, HPPWD, Outer Seraj Kullu Division, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करती हैं।

1 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के दुगुने वन भूमि अर्थात 4.40 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एव 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

3 सक्षम स्तर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि में यदि उच्च स्तर से बढोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन. पी. वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा डम्पिग साइट का रिक्लेमेशन योजना कार्यान्वित किया जाएगा। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कियान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि मलवा निस्तारण स्थल का उचित रूप से Reclamation कर दिया जाए।

5 मलवे का प्रयोग स्थानीय रूप पुख्ता दीवार (Retaining Wall) के पीछे गढढों को भरने/ ढलानों के सुधार के लिए किया जाए। इसे पहाडी ढलान के नीचे बिल्कुल नही गिराया जाएगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।

6 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

7 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवंज जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

8 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

9 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

10 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/ स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11 प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिकत आस पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी / पत्थर काटने एव भरने का कार्य नही किया जाएगा।

SIFCA
APCCF(FCA)

1406
31/7/14

Contd…2

PCCF
28/7

12 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

13 उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2014 (FCA) Dated, Shimla-171001 the,...28-7-14

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun.
3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4 The Deputy Commissioner, Kullu, Distt. Kullu Himachal Pradesh .
5. CF,Kullu /DFO, Ani, Ani Forest Division, Distt. Kullu, H.P.
6 Ex-Engineer, HPPWD, Outer Seraj Kullu Division Distt. Kullu.
7. Guard File.

(Prakasha Nand)
Deputy Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
0177–2628481,9418455573